राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2682/2024

राकेश गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय पशुपालन, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर हेरिटेज, बडी चौपड, जयपुर।
4. उप आयुक्त (कार्मिक), नगर निगम, जयपुर हेरिटेज, बडी चौपड, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.08.2024
आदेश की दिनांक : 06.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र कुमार जोशी, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर नगर निगम हेरिटेज, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की आदेश दिनांक 13.09.2023 की पालना में दिनांक 15.09.2023 को वर्तमान स्थान पर कार्यग्रहण किया। आदेश दिनांक 03.10.2023 जिसके द्वारा अपीलार्थी आवंटित कार्य को संभालता था एक वर्ष के लिये अपीलार्थी प्रतिनियुक्ति पर कार्यालय नगर निगम हेरिटेज, जयपुर भेजा गया, परंतु मात्र 20 दिन में ही आदेश दिनांक 04.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी के पदस्थापन को बदल दिया गया, उसे हेरिटेज से ग्रेटर नगर निगम पदस्थापित कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है। उनका कथन है कि इस प्रकार पदस्थापन बदलना माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गंगाराम बिश्नोई

राज्य व अन्य डब्ल्यू.एल.आर. 1994 राज. 537 और इसी प्रकार कालू सिंह बनाम राजस्थान राज्य 2009 एससीसी राज. 825 में ऐसे पदस्थापन को सही नहीं माना है। जबकि यह स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.10.2023 स्थानान्तरण पर लगे प्रतिबंध के दौरान जारी किया गया है, जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.01.2023 के विपरीत है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील प्रस्तुत की और अधिकरण ने उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अवमानना याचिका अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की और विभाग ने अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवाया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 02.08.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी को पशुधन सहायक से पशु चिकित्सा सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई और पशु चिकित्सालय, छिवागांव, सिरोही पदस्थापित किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि वह कई गंभीर जैसे न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, बीपी, डायबिटीज, अस्थमा आदि बीमारी से पीडित है और उसकी मां जो 84 वर्ष की वृद्ध महिला है, जो वेंटिलेटर पर आईसीयू में भर्ती है। इस प्रकार सभी की देखभाल करने के लिये परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2025 को नियत है। फिर भी अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किया गया और आदेश दिनांक 20.08.2024 के द्वारा सिरोही के लिये कार्यमुक्त कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी को एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले ही कार्यमुक्त कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है। उसका कथन है कि केवल अपीलार्थी को ही जिले से बाहर पदोन्नति उपरांत पदस्थापित किया गया है। जबकि सभी कार्मिकों को जिले के अंदर ही पदस्थापित किया गया है। चूंकि अपीलार्थी ने अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश की पालना में विभाग द्वारा कार्यग्रहण नहीं करवाये जाने पर अवमानना याचिका अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसके कारण द्वेषता के आधार पर 151 कार्मिकों में से केवल मात्र अपीलार्थी को ही जिले से बाहर स्थानांतरण किया है, जो दुर्भावना प्रकट होती है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.08.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन पशुधन सहायक के पद पर नगर निगम हेरिटेज, जयपुर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को नगर निगम हेरिटेज, जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 20.08.2024 के द्वारा कार्यमुक्त किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर नगर निगम हेरिटेज, जयपुर में पशुधन सहायक के पद पर कार्यरत था और आदेश दिनांक 02.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी को पशुधन सहायक से पशु चिकित्सा सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी का मूल विभाग निदेशालय पशुपालन विभाग है और पदोन्नति आदेश जारी उपरांत अपीलार्थी को पशु चिकित्सा सहायक के पद पर पशु चिकित्सालय छिब्बा गांव, सिरोही स्थानान्तरित किया गया है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है और उसके मूल विभाग द्वारा स्थानान्तरण किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी को जहां पर वह प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत था, के द्वारा छिब्बा गांव, सिरोही के लिये कार्यमुक्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं है। इस प्रकार हम आलोच्य आदेश दिनांक 20.08.2024 में किसी प्रकार की नियम विरूद्धता नहीं पाते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य